

28.2.22

पत्रावली पेश हुई बादी व अधिवक्ता बादी में से कोई उपस्थित नहीं आए। बादी व अधिवक्ता बादी को न्यायालय समय तक बाल-बाल आवे लगेवार गई। फिर भी अनुपस्थित रहे तथा नाही प्रतिवादियों की अज्ञानता तलवी हेतु तलबना नोटिस पेश नहीं किए गए अतः पत्रावली अद्य हाजरी अनार्गन आदेश 09 निमम 03 के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमा होकर मम्बाले कम होकर दारिजल दफ्तर हो। निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में बुनामा गया।

